

(भारत के राजपत्र के भाग - II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i))में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रपति सचिवालय  
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली - 110004

दिनांक : 28 सितम्बर, 2007

## अधिसूचना

संख्या ए-27011/44/01- प्रशासन. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) के भाग 28 के खण्ड (1) और (2) (i से iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सचिवालय एतद द्वारा नीचे लिखे नियम निर्मित करता है, जो इस प्रकार हैं :-

- (1) **लघुशीर्षक और प्रारम्भ - (i)** ये नियम राष्ट्रपति सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत विनियम) नियम 2007 कहलाएंगे।
- (2) ये, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, बशर्ते कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो, -
  - (क) 'अधिनियम' का अर्थ है सूचना का अधिकार अधिनियम, - 2005;
  - (ख) 'धारा' का अर्थ है अधिनियम की धारा;
  - (ग) इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य सभी शब्द व वाक्यांश जो परिभाषित नहीं किए गए हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अधिनियम में नियत अर्थ ही माना जाएगा।
3. धारा 6 की उप-धारा (i) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ, राष्ट्रपति सचिवालय के लेखा अधिकारी को देय, 10/- रुपए मात्र के आवेदन शुल्क का उचित रसीद के बदले नकद भुगतान करके अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर बनवाकर आवेदन पत्र के साथ भेजें।
4. धारा 7 की उप धारा (i) के तहत सूचना उपलब्ध करने के लिए शुल्क राष्ट्रपति सचिवालय के लेखा अधिकारी को देय उचित रसीद के बदले नकद भुगतान से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा नीचे लिखी दरों पर लिया जाएगा।
  - (क) प्रत्येक तैयार किए गए पृष्ठ अथवा प्रतिलिपि (ए-4 ए-5 आकार के कागज में) के लिए 2 रुपए);
  - (ख) बड़े आकार के कागज पर तैयार प्रतिलिपि का लागत मूल्य और वास्तविक मूल्य;
  - (ग) नमूनों अथवा मॉडलों की लागत अथवा वास्तविक मूल्य और
  - (घ) अभिलेखों की जांच के लिए पहले घण्टे निःशुल्क, उसके बाद प्रत्येक घण्टे (अथवा उसके अंश) के लिए 5/- रुपए शुल्क लिया जाएगा।

5. धारा 7 की उप धारा 5 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए शुल्क, राष्ट्रपति सचिवालय के लेखा अधिकारी को देय उचित रसीद के बदले नकद भुगतान से, अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा नीचे लिखी दरों पर लिया जाएगा।

- (क) डिस्क अथवा फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रति डिस्क 50/- रुपए और प्रति फ्लॉपी 20/- रुपए देने होंगे ; और
- (ख) मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे दस्तावेजों के लिए नियत लागत अथवा प्रकाशन से ली गई सामग्री की फोटोकापी के लिए 2/- रुपए प्रति पृष्ठ देने होंगे।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)

भारत के राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली।